राजस्थान सरकार

नगर नियोजन विभाग

कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा

अहिंसा सर्किल, आर.के.पुरम् सेक्टर–ए, कोटा–324010

E-mail: stp.kota.rj@gmail.com phone no. 0744- 2470022, 0744- 2470077

क्रमांकः केटीजेड / 1631 / लाखेरी 734 दिनांकः 15-11-2021

अधिशाषी अधिकारी,
नगर पालिका,
लाखेरी।

विषय :– आवेदक अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका लाखेरी बाबत् राजस्व ग्राम–लाखेरी, तहसील–इन्द्रगढ व जिला–बूंदी स्थित ख.स. 940 / 1 व 940 / 2 रकबा 29.45 है. भूमि में से 83000 व.मी. भूमि के मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के मॉडल 4ए(i) के अंतर्गत प्रोजेक्ट के मानचित्र अनुमोदन हेतु तकनीकी राय बाबत्।

संदर्भ :– आपका कार्यालय पत्र क्रमांक नपाला / निर्माण / 2020–21 / 1737 दिनांक 14.07.2021 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र मय संलग्नकों द्वारा राजस्व ग्राम–लाखेरी, तहसील–इन्द्रगढ व जिला–बूंदी स्थित ख.स. 940 / 1 व 940 / 2 रकबा 29.45 है. भूमि में से 83000 व.मी. भूमि के मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के मॉडल 4ए(i) के अंतर्गत प्रोजेक्ट के मानचित्र अनुमोदन हेतु तकनीकी राय चाही गयी है।

प्रकरण में आवेदित भूमि कोटा सवाईमाधोपुर मेगा हाईवे (1ए) व लाखेरी कस्बें में जाने वाली सडक के तिराहे पर स्थित है तथा प्रस्तावित मानचित्रानुसार आवेदित भूमि के उत्तरी–पूर्वी दिशा के सहारे–सहारे 18 मीटर चौडी सडक प्रस्तावित नाले के समानान्तर प्रस्तावित की गयी है। लाखेरी कस्बे के अनुमोदित मास्टर प्लान के प्रस्तावित भू–उपयोग मानचित्र–2031 अनुसार आवेदित भूमि का भू–उपयोग उपरोक्तानुसार विद्यमान सडक के मास्टर प्लान अनुसार प्रस्तावित मार्गाधिकार को छोडकर अफोर्डेबल हाउसिंग प्रयोजनार्थ निर्धारित है जिसमें नियमानुसार मुख्यमंत्री जन आवास योजना हेतु प्रस्तावित उपयोग अनुज्ञेय है। मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के मॉडल 4ए(i) के अंतर्गत कुल आवेदित भूमि के 75 प्रतिशत भू–भाग पर विकासकर्ता द्वारा इडब्ल्यूएस / एलआईजी वर्ग हेतु निर्माण प्रस्तावित किये जाने आवश्यक है तथा शेष 25 प्रतिशत भू–भाग पर विकासकर्ता द्वारा एमआईजी–बी / एचआईजी फ्लेट्स / प्लॉट्स / हाउसेस (हाई राइज) बाबत् उपयोग में लिया जा सकेगा। इस प्रकार प्रकरण में मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के मॉडल 4ए(i) के अंतर्गत कुल आवेदित 83000 व.मी. भूमि के 75 प्रतिशत (62250 व.मी.) भू–भाग पर विकासकर्ता द्वारा इडब्ल्यूएस / एलआईजी वर्ग हेतु निर्माण प्रस्तावित किये गये है तथा शेष 25 प्रतिशत (20750 व.मी.) भू–भाग रिक्त दर्शाया गया है।

अतः प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 194 के अंतर्गत मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के मॉडल 4ए(i) के अंतर्गत प्रेषित भवन मानचित्र अनुमोदन व निर्माण स्वीकृति (बैसमेन्ट+भूतल+द्वितीय+तृतीय तल) निम्न शर्तों के अध्याधीन प्रदान किये जाने हेतु प्रकरण सक्षम समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की अभिशंषा की जाती हैः–

1. प्रकरण में मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के मॉडल 4ए(i) के अंतर्गत कुल आवेदित 83000 व.मी. भूमि के 75 प्रतिशत (62250 व.मी.) भू–भाग पर विकासकर्ता द्वारा इडब्ल्यूएस / एलआईजी वर्ग हेतु निर्माण प्रस्तावित किये गये है तथा शेष 25 प्रतिशत (20750 व.मी.) भू–भाग पर विकासकर्ता द्वारा एमआईजी–बी / एचआईजी फ्लेट्स / प्लॉट्स / हाउसेस (हाई राइज) बाबत् उपयोग में लिया जाना प्रस्तावित है जिसकी सुनिश्चितता स्थानीय निकाय द्वारा की जानी होगी। साथ ही विकासकर्ता द्वारा 25 प्रतिशत (20750 व.मी.) भू–भाग पर निर्माण सक्षम स्तर से मानचित्र अनुमोदन उपरान्त मॉडल भवन विनियम–2020 एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचनाओं / परिपत्रों / आदेशों के अनुसार किया जाना होगा।
2. आवेदित भूमि के उत्तर दिशा से गुजर रही 18 मी0 चौडी सडक व दक्षिण दिशा में स्थित 24 मी0 चौडी मास्टर प्लान की सडक के मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि निशुल्क समर्पित की जानी होगी।
3. प्रश्नगत भूमि में से 132 केवी की विद्युत क्षमता की विद्युत लाईन गुजर रही है। जिसे मानचित्र में दर्शाया गया है। अतः उक्त विद्युत लाईन की विद्युत क्षमता 132 केवी के अनुसार न्यूनतम सुरक्षात्मक दूरी सहित न्यूनतम आर.ओ.डब्ल्यू. 27 मीटर छोडा जाना होगा तथा उक्त विद्युत लाईन के नीचे 13.8 मीटर सुरक्षात्मक गलियारा छोडा जाना होगा जो कि नो कन्सेट्रक्शन जोन होगा। मानचित्र में उक्त सुरक्षाात्मक गलियारे से रोड क्रोस ऑवर दिया गया है। अतः राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 08.03.2017 के समस्त मापदण्डों की पालना करते हुये न्यूनतम वर्टिकल ग्राउन्ड क्लियरेंस उपलब्ध रहने की सुनिश्चितता विकासकर्ता द्वारा की जानी होगी।
4. प्रकरण में उपरोक्तानुसार प्रस्तावित भवन के सैटबैक, भूतल आच्छादन, बीएआर, उँचाई व पार्किग का प्रावधान प्रश्नगत निर्माण में किया जाना सुनिश्चित करें।
5. प्रकरण में प्रस्तावित भवन में प्रचलित भवन विनियम 2020 के अनुसार दिव्यांगो हेतु आवश्यक प्रावधान (पार्किंग, रेम्प व टॉयलेट आदि), वर्षाजल संग्रहण, सोलर उर्जा उपकरण व सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल हेतु आवश्यक प्रावधान सुनिश्चित किये जाने होगें।
6. प्रकरण में राज्यादेश दिनांक 21.01.2020 के दृष्टिगत अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र यदि आवश्यक हो तो आवेदक द्वारा लिया जाना है। अतः उक्त की पालना सुनिश्चित की जावें। साथ ही प्रार्थी द्वारा अग्नि शमन के उचित प्रावधान किये जावेगें, जिसके लिये वह स्वयं उत्तरदायी होगा व इस हेतु निर्धारित मापदण्डों की पालना पूर्ण रूप से सुनिश्चित की जायेगी।

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका लाखेरी

Generated Via PDF Scanner

7. प्रस्तावित भवन परिसर में ही निर्धारित पार्किंग स्थल पर पार्किंग करवाई जावे तथा आगन्तुकों हेतु निशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावें।

8. प्रचलित भवन विनियम 2020 के अनुसार प्रत्येक 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के लिए कम से कम एक वृक्ष के अनुपात में बडे वृक्ष जो 6 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई ग्रहण कर सकते हों, लगाने होंगे। इस प्रावधान की अनुपालना नहीं करने पर 1000/– प्रति वृक्ष की दर से राशि नगर पालिका कैथून में जमा करानी होगी, जिस राशि का उपयोग उस भूखण्ड पर वृक्ष लगाने में किया जायेगा।

9. इस निर्माण स्वीकृति को राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 194 (3) (ख) के परन्तुक के तहत किसी भी भांति प्रश्नगत भूमि/भूखण्ड के प्रति स्वामित्व का प्रमाण पत्र नहीं माना जावेगा और ना ही इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धित अधिकार ही प्रमाणित होगें।

10. प्रचलित भवन विनियम 2020 के अनुसार भवन विनियमों के अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण करने की जिम्मेदारी आपकी होगी तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डेवियेशन) नहीं किया जायेगा। एकीकृत भवन विनियम, 2017 के किसी प्रावधान का उल्लंघन करने अथवा सैटबैक में निर्माण किये जाने पर विधि विरूद्ध किये गये ऐसे निर्माण को नियमानुसार तोडने की कार्यवाही नगर पालिका, लाखेरी द्वारा की जा सकेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी तथा इसका हर्जा–खर्चा भी आवेदक से वसूल किया जायेगा। साथ ही उक्त अधिनियम 2009 की धारा 194 (10) (सी) के प्रावधान आवेदक के लिये बाध्यकारी होगें, जिसके तहत पेनल्टी एवं सजा का प्रावधान है।

11. प्रचलित भवन विनियम 2020 के अनुसार भवन निर्माण के समय निर्माण सामग्री से आसपास के भवनों के निवासकर्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस हेतु भवन निर्माण के दौरान चारों ओर पर्दे लगवाये जावें।

12. आवेदक प्रत्येक मंजिल के लिए स्वीकृत ईकाई से अधिक का निर्माण नहीं करेगा।

13. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में आवेदक द्वारा निर्माण कार्य करवाया जावेगा, जिसके संबंध में सूचना नगर पालिका, लाखेरी को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घन्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण–पत्र में नगर परिषद को देनी होगी।

14. प्रचलित भवन विनियम 2020 की अनुपालना में भवन में भूकम्परोधी प्रावधान रखा जाना सुनिश्चित किया जावे।

15. भवन निर्माणकर्ता द्वारा स्वीकृत नक्शे के अनुसार निर्माण किये जाने के दौरान किसी भी प्रकार का मलवा अथवा बिल्डिंग मैटेरियल सडक पर नहीं डाला जावेगा, यदि किसी भी प्रकार का मलवा/बिल्डिंग मैटेरियल भू–स्वामी द्वारा सडक पर डाला जाता है तो भवन निर्माणकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् नगर पालिका द्वारा जारी निर्माण स्वीकृति को निरस्त किया जा सकेगा।

16. प्रचलित भवन विनियम 2020 के अनुसार भवन निर्माण में निर्धारित मानदण्डों के उल्लंघन होने या निर्माण मानक स्तर के अनुरूप नहीं होने पर निर्माण को रोका जा सकता है एवं इसे आंशिक या पूर्णरूप से ध्वस्त कराया जा सकेगा एवं ऐसे समस्त निर्माण की जिम्मेदारी अनुज्ञाधारी की होगी।

17. प्रचलित भवन विनियम 2020 के अनुसार गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिये आवेदक को दोषी माना जायेगा।

18. प्रश्नगत भूखण्ड से सम्बन्धित वाद/विवाद किसी भी न्यायालय में यदि लंबित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लंबित है अथवा विपरीत निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगें।

19. प्रकरण में भवन निर्माण स्वीकृति हेतु आवश्यक शुल्क आवेदक से लिया जाना सुनिश्चित करें तथा नियमानुसार अपेक्षित बकाया राशि/कर/उपकर आदि आवेदक द्वारा नगर पालिका कोष में जमा करवाने होगें।

20. प्रकरण में अन्य शेष आवश्यक प्रावधान मॉडल भवन विनियम, 2020 अनुसार सुनिश्चित किये जाने होगें।

21. ऊपर वर्णित शर्तों एवं अन्य कोई संबंधित शर्त का पालन नहीं होने पर भवन अनुज्ञा रद्द मानी जायेगी।

संलग्नः– स्वीकृत भवन मानचित्र की प्रति।

भवदीय,

15/11/24

(अनुपम शर्मा)
वरिष्ठ नगर नियोजक
कोटा जोन, कोटा

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका लाखेरी

Generated Via PDF Scanner

g-l gour 1

Email Id :- nagarpalikalakheri9@gmail.com

कार्यालय नगरपालिका मण्डल लाखेरी जिला बून्दी (राज0)

क्रमांक न.पा.ला./निर्माण/2021–22/ 5048 दिनांक 06/12/21

–: ले–आउट प्लान अनुमोदन कमेटी बैठक :–

–: कार्यवाही विवरण :–

आज दिनांक 24.11.2021 को स्थानीय स्वायत शासन विभाग नगरीय निकाय विकास और आवासन मण्डल विभाग राजस्थान जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ.3(50)यू.डी.एच./3/2012 दिनांक 31.05.2012 के नियम 8 तथा नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के आदेश क्रमांक प.3(90) नविवि/3/2012 दिनांक 21.06.2021 के अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क एवं तत्धीन बनाये गये राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि को गैर कृषिक प्रयोजनार्थ के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के अनुसार ले–आउट प्लान अनुमोदन हेतु गठित कमेटी की बैठक पालिका सभागार में कमेटी अध्यक्ष की अध्यक्षता में आज सायं 4.00 बजें आयोजित की गई जिसमें निम्न पदाधिकारी एवं कमेटी सदस्य उपस्थित हुय।

क्र.सं.	नाम पदाधिकारी	पद	कमेटी में धारित पद
1	श्रीमति आशा कुमारी शर्मा	अध्यक्ष	कमेटी अध्यक्ष
2	श्री मुकेश नागर	अधिशाषी अधिकारी	सदस्य सचिव
3	श्री अनुराग शर्मा	कनिष्ठ अभियंता	सदस्य

कमेटी की बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों का सर्वप्रथम अधिशाषी अधिकारी द्वारा अभिनन्दन एवं स्वागत किया गया बैठक में अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका लाखेरी को प्राप्त मुख्यमंत्री जन आवास योजना अन्तर्गत कुल 1328 आवास बनाने हेतु विकासकर्त्ता एजेन्सी मैसर्स नव भारत निर्माण कम्पनी जोइन्ट वेन्चर विथ अंकिता कन्स्ट्रक्शन कोटा द्वारा ले–आउट प्लान प्रस्तुत किया गया। जिसमें कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक के पत्रांक 734 दिनांक 15.11.2021 के निर्देशों एवं तकनिकी अनुमोदन करते हुये की गई अनुशंषा के तहत संलग्न ले–आउट प्लान सर्व सम्मति से अनुमोदन किया जाता है।

तदउपरान्त सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक समापन की घोषणा की गई।

(सदस्य)	(सदस्य सचिव)	आशा शर्मा (कमेटी अध्यक्ष)
कनिष्ठ अभियंता	अधिशाषी अधिकारी	अध्यक्ष
नगरपालिका लाखेरी	नगरपालिका लाखेरी	नगरपालिका लाखेरी

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ 5049–51

1. श्रीमान निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव महोदय, स्वायत शासन विभाग राज. जयपुर।
2. श्रीमान परियोजना अधिकारी, (रूडसिको) जयपुर।
3. संबंधित समस्त को सूचनार्थ।
4. सुरक्षित पत्रावली।

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका लाखेरी

Generated Via PDF Scanner

P.T. Survey With Khasara Superimpose of Kh.NO. 940/1 part ,940/2 part
In Village - Lakheri, Tehsil- Indergar Distt. Bundi

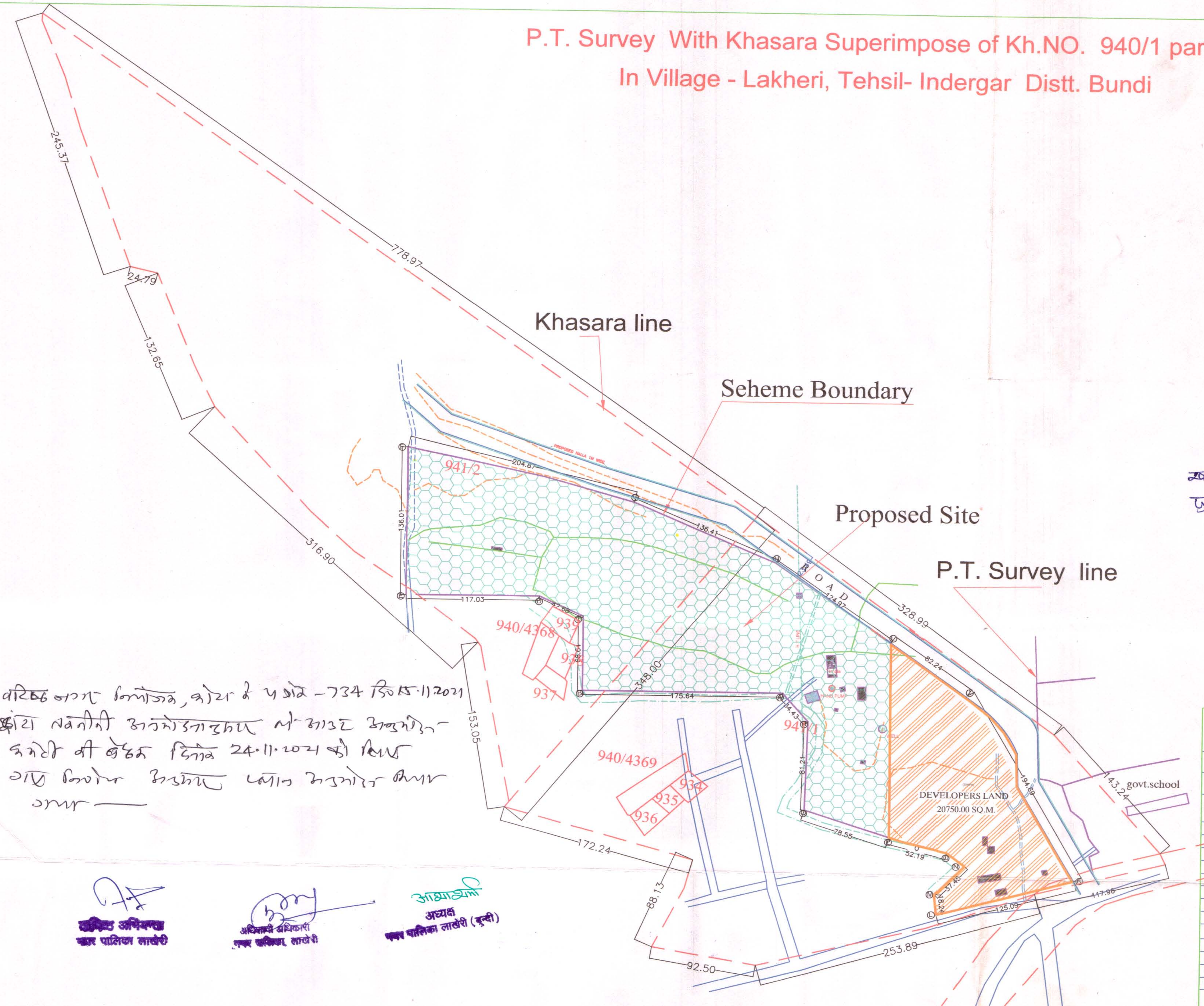

वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा के पत्रांक -734 दिनांक 15.11.2021 द्वारा तकनीकी अनुमोदनानुसार ले आउट अनुमोदन कमेटी की बैठक दिनांक 24.11.2021 को लिये गये निर्णय अनुसार प्लान अनुमोदित किया जाता —

ख.नं. 940/1 व 940/2 रिकॉर्ड अनुसार प्रमाणित
28/10/2021
पटवारी मण्डल लाखेरी

NAGAR PALIKA LAKHERI				
S.NO.	LAND USE	KHASHRA NO		AREA
1.	AFFORDABLE HOUSING (75.00%)	940/1(part), 30599.0sqm	940/2 (part) 31651.0sqm	62250.00 SQ.M. (75.00%)
2.	DEVELOPERS LAND (25.00%)	940/1		20750.00 (25.00%)
3.	TOTAL AREA			83000.00 SQ.M.

NAME OF SCHEME :
PROPOSED AFFORDABLE HOUSING SCHEME
UNDER CHIEF MINISTER'S JAN AWAS YOJANA 2015.
PROVISION 4A AT LAKHERI (RAJ.)

ZONE NO. ----	SECTOR NO.	
SCALE : 1CM=25m.	DRG. NO.	
A. T. P. ZONE	D.T.P.	S.T.P.

DEVELOPERS
NAV BHARAT NIRMAN COMPANY & ANKITA CONSTRUCTION (JV)
C-9 Vallabh Bari ,aravali nagar ,Kota

SHEET TITLE:
NORTH: N

PRJ. NO.:
DATE: 21.3.2021

LEGEND

BUILDING		DIVIDER	
ELE.LINE		ROAD	
ELE.POLE		LAMPPOST	
TEL.LINE		WELL	
TEL.POLE		TBWELL	
TRANSFORMER		HAND PUMP	
TREE		OFC STONE	
NALA		MAIN HALL	MH
FENCING		REL.PLACES	
H.T POLE		CENTRE LINE	
H.T LINE		GATE	
CONTOUR		COUNTOUR RL	RL

DRAWING TITLE:
P.T. SURVEY MAP

GLOBAL ENGINEERS CONSULTANTS
78,LAXMI NAGAR AJMER ROAD
JAIPUR- 302006
PHONE:- 0141 2451502, M.-98290 89250
E-mail :- gec1004@gmail.com

For Navbharat Nirman Company
& Ankita Construction (JV)

Authorised Signatory

कनिष्ठ अभियन्ता
नगर पालिका लाखेरी

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका, लाखेरी

अध्यक्ष
नगर पालिका लाखेरी (बून्दी)

कनिष्ठ अभियन्ता
नगर पालिका लाखेरी

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका, लाखेरी
जिला बून्दी (राज.)

अध्यक्ष
नगर पालिका लाखेरी

LAY OUT PLAN

Khasara Kh.NO. 940/1 part ,940/2 part

In Village - Lakheri, Tehsil- Indergar Distt. Bundi

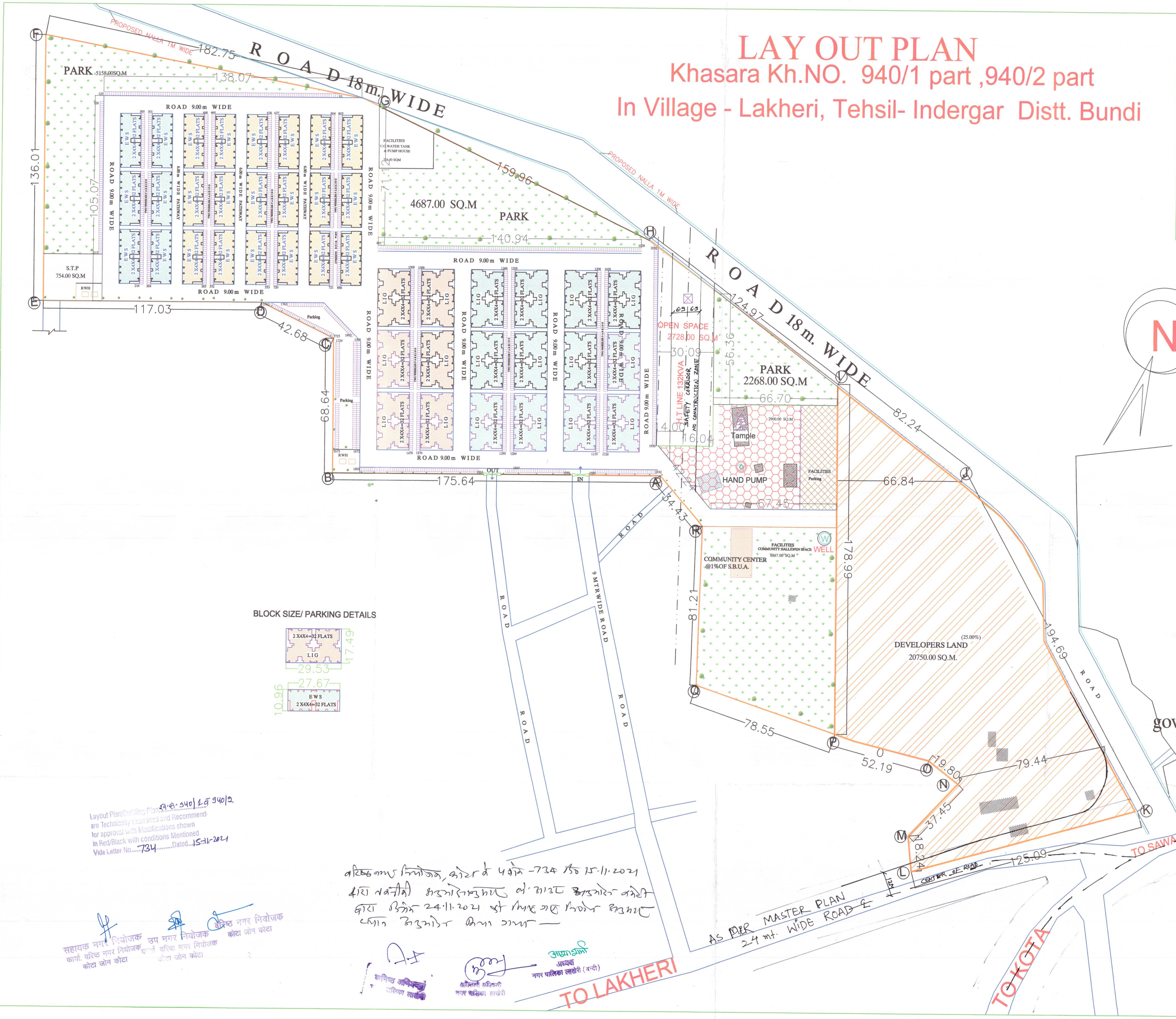

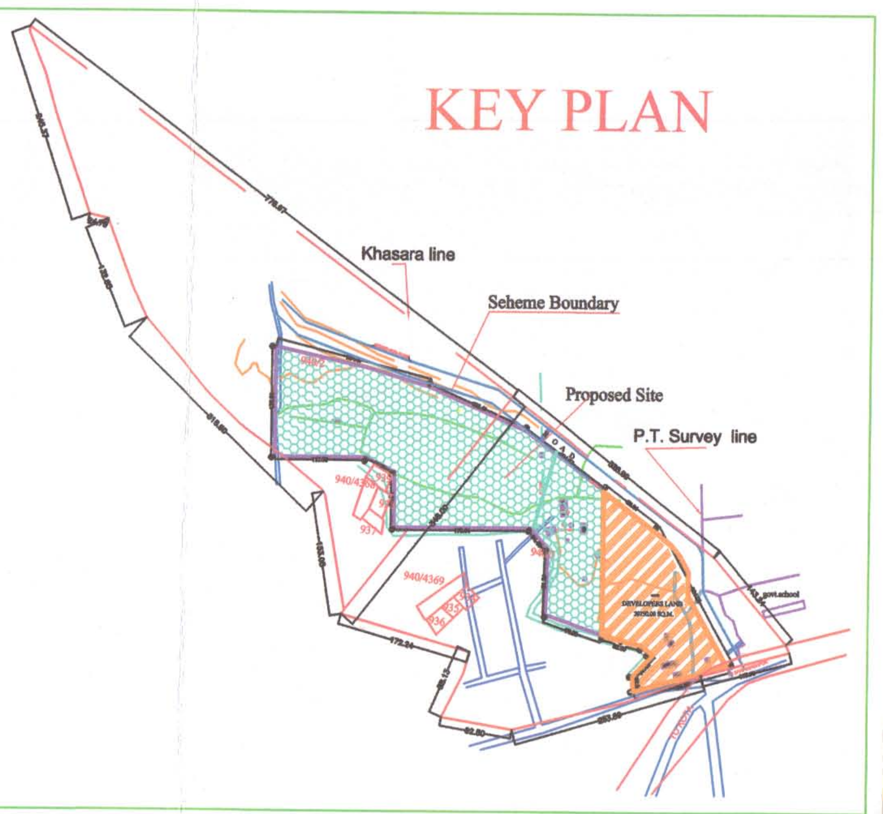

Layout Plan/Building Plan ख०स० 940/1 व 940/2 are Technically Examined and Recommended for approval with Modifications shown in Red/Black with conditions Mentioned Vide Letter No. 734 Dated 15-11-2021

वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा के पत्रांक -734 दि० 15.11.2021 द्वारा तकनीकी अनुमोदनानुसार व भवन अनुमोदन कमेटी द्वारा दिनांक 24.11.2021 को लिए गए निर्णय अनुसार प्लान अनुमोदित किया गया —

सहायक नगर नियोजक
कार्या. वरिष्ठ नगर नियोजक
कोटा जोन कोटा

उप नगर नियोजक
कार्या. वरिष्ठ नगर नियोजक
कोटा जोन कोटा

वरिष्ठ नगर नियोजक
कोटा जोन कोटा

कनिष्ठ अभियन्ता
नगर पालिका लाखेरी

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका लाखेरी

अध्यक्ष
नगर पालिका लाखेरी (बून्दी)

AREA ANALYSIS

S.NO.	LAND USE	AREA	%
1.	COVERED AREA FOR RESIDENTIAL BLOCK	13940.00 SQ.M.	22.40 %
2.	PARK /GREEN	8113.00 SQ.M.	13.03%
3.	FACILITIES WATER TANK/ PUMP HOUSE- =724.00 COMMUNITY HALL& OPEN SPACE-6867.00 TEMPLE= 2900.00 STP= 754.00	11245.00 SQ.M.	18.06 %
4.	H.T LINE (132KVA) SAFETY CORRIDOR	2728.00 SQ.M.	4.38 %
5.	ROAD/ PATHWAY	15600.00 SQ.M.	25.06 %
6.	OPEN /PARKING AREA	10624.00 SQ.M.	17.07%
	TOTAL AREA FOR AFFORDABLE HOUSING	62250.00 SQ.M.	100.00%
1.	L.I.G UNITS (18X8X4)	576	
2.	E.W.S UNITS (24X 8X4)	768	
3.	TOTAL UNITS	1344	

PARKING FOR TWO WHEELERS REQD.	768(EWS)+1152(LIG)=1930
PARKING FOR TWO WHEELERS PROVIDED	2032
TOTAL LIG BLOCK	18
TOTAL BUA, FOR LIG BLOCK	1619.74X18=29155.32 SQM
TOTAL EWS BLOCK	24
TOTAL BUA, FOR EWS BLOCK	1041.524 X24=24996.576 SQM
PROPOSED BUA. FOR SCHEME (LIG+EWS)	54151.90 SQ.M
PERMISSIBLE FAR	2
PERMISSIBLE BUA. FOR SCHEME	62250.0 X 2=124500.00 SQ.M
FAR USED	54151.90 / 62250.0 =0.87

NAGAR PALIKA LAKHERI

S.NO.	LAND USE	KHASHRA NO	AREA
1.	AFFORDABLE HOUSING (75.00%)	940/1(part), 940/2 (part) 30599.00sqm 31651.00sqm	62250.00 SQ.M. (75.00%)
2.	DEVELOPERS LAND (25.00%)	940/1	20750.00 (25.00%)
3.	TOTAL AREA		83000.00 SQ.M.

NAME OF SCHEME :
PROPOSED AFFORDABLE HOUSING SCHEME UNDER CHIEF MINISTER'S JAN AWAS YOJANA 2015. PROVISION 4A AT LAKHERI (RAJ.)

ZONE NO. ----	SECTOR NO.
SCALE : 1CM=10M.	DRG. NO.

A. T. P. ZONE	D.T.P.	S.T.P.

NAGAR PALIKA LAKHERI

DEVELOPERS

NAV BHARAT NIRMAN COMPANY & ANKITA CONSTRUCTION (JV)
C-9 Vallabh Bari ,sarovar nagar ,kota

For Navbharat Nirman Company & Ankita Construction (JV)
Authorised Signatory

NORTH: N

SHEET TITLE:
LAY OUT PLAN

SCALE:	PRJ. NO.:	DATE: 20.6.2021
1 CM=10M		REVISED: 23.9.2021

GLOBAL ENGINEERS CONSULTANTS Reg. No SH964/RTI P112/04

DRAWING BY

GLOBAL ENGINEERS CONSULTANTS
76,LAXMI NAGAR AJMER ROAD
JAIPUR- 302006
PHONE:- 0141 2451502, M:-98290 89250
E-mail :- gec1004@gmail.com

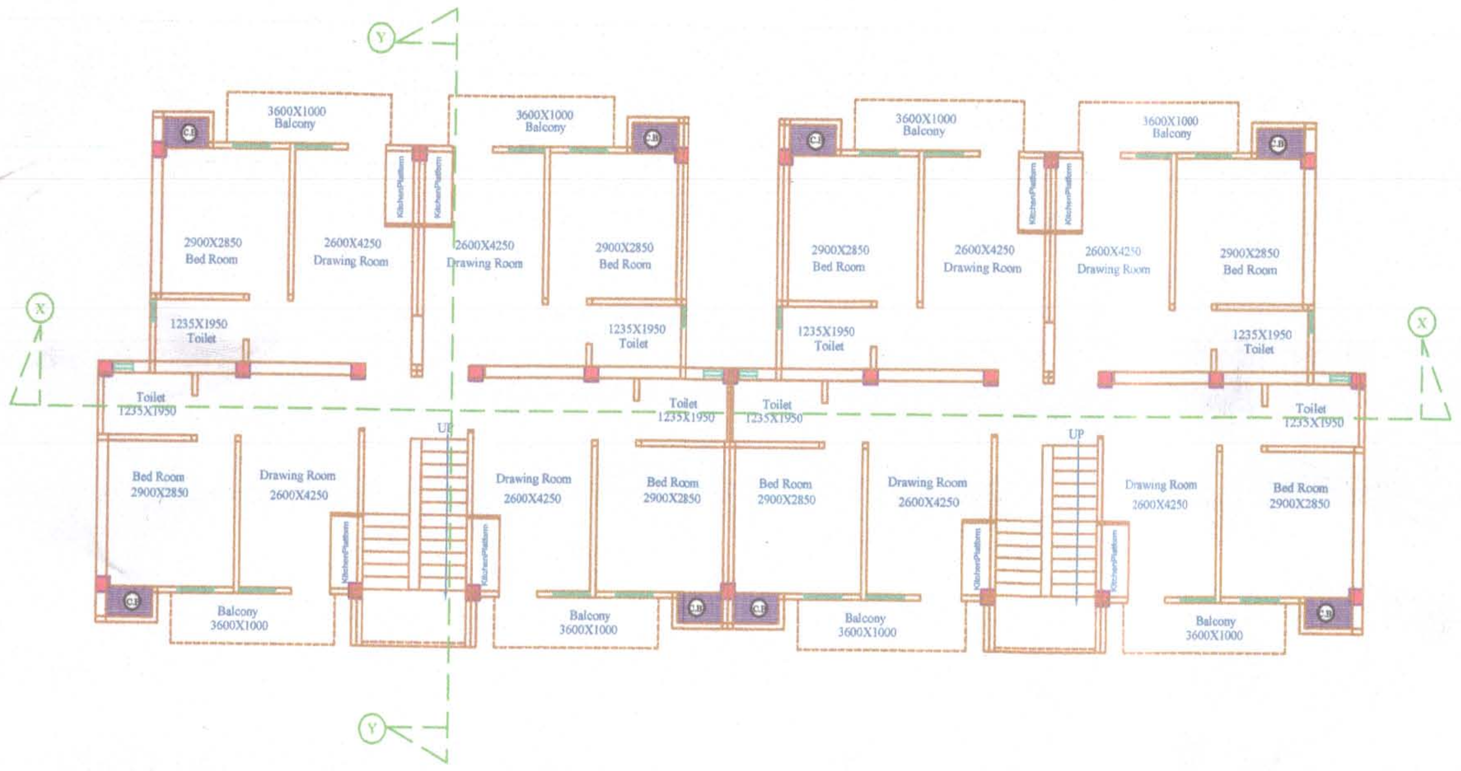

GROUND FLOOR PLAN (EWS)

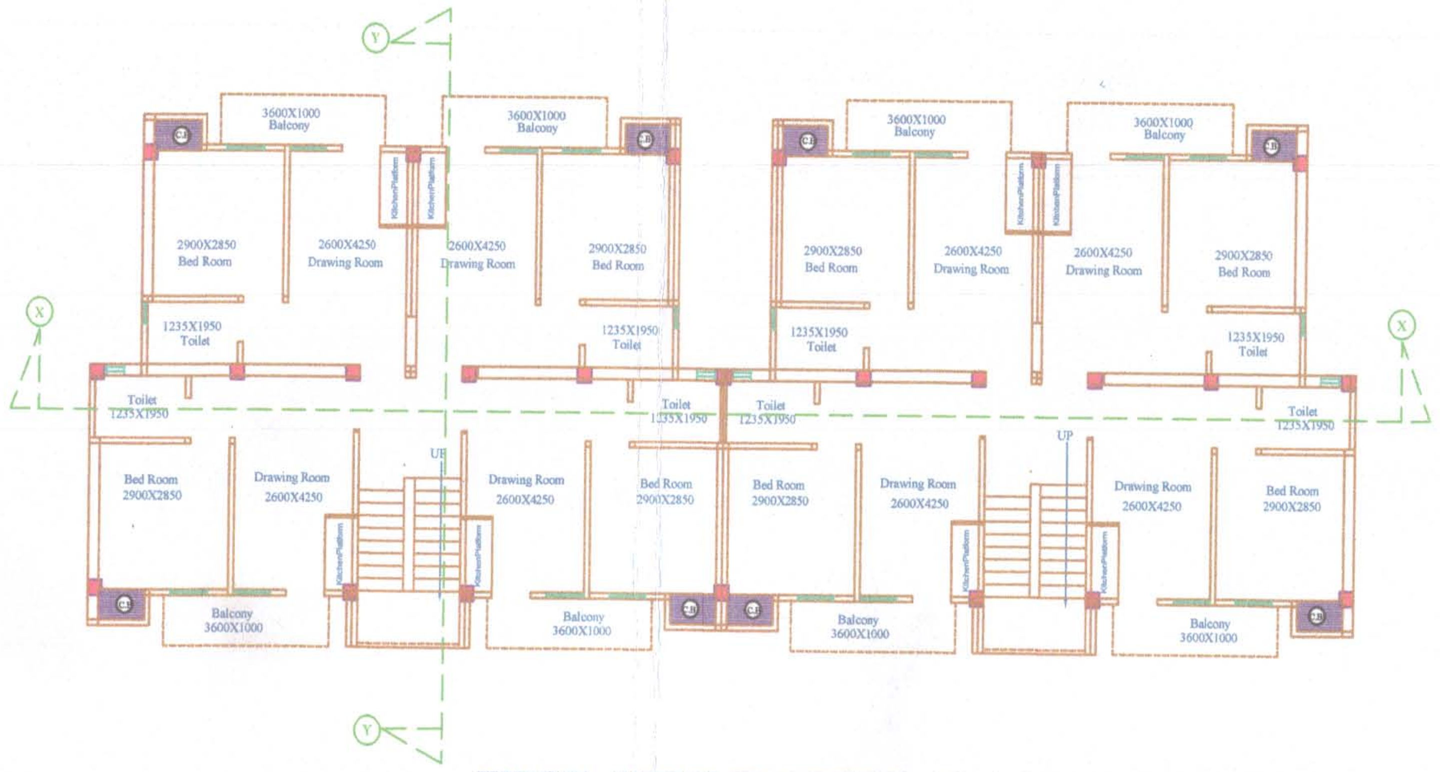

FIRST, SECOND, THIRD FLOOR PLAN (EWS)

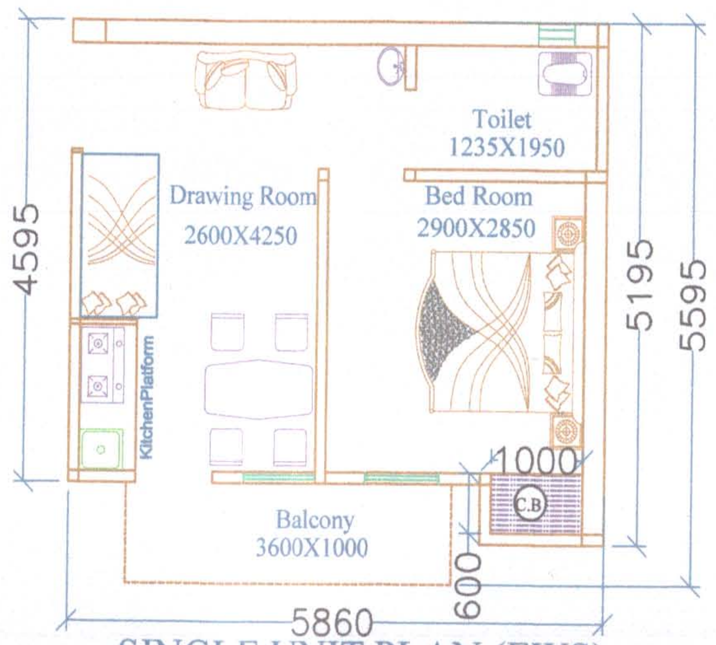

SINGLE UNIT PLAN (EWS)

SCHEDULE OF DOORS & WINDOWS

S.NO	TYPE		SILL	LINTEL HT.	NO S	TOTAL NO S
1	D1	1000 X 2100	0	2100	8	8X4=32+2(MUMTY)=34
2	D2	850 X 2100	0	2100	16	16X4=64
3	D3	800 X 1950	150	2100	8	8X4=32
4	W1	800 X1200	900	2100	16	16X4=64
5	V1	450X600	1500	2100	8	8X4=32

CONSTRUCTION AREA CALCULATION

TOTAL PLOT AREA 27.67 M X10.96 M =303.263 SQM.

OPEN AREA CALCULATION

S.NO	DETAILS	NO	AREA OF EACH	TOTAL AREA(SQM)
1	Area of 1	1	2.003 X5.365=10.746	10.746
2	Area of 2	6	0.40 X 1.345=0.538	3.228
3	Area of 3	8	0.30 X 1.00=0.30	2.40
4	Area of 4	4	0.385X1.0=0.385	1.54
5	Area of 5	1	0.40 X2.46=.984	0.984
6	Area of 6	2	1.115X5.365=5.981	11.964
7	Area of 7	2	1.230X1.00=1.23	2.46
			GRAND TOTAL	33.322

BUILT-UP AREA CALCULATION

303.263 SQM.(PLOT AREA) -33.322 (OPEN AREA) =269.941 SQM.

F.A.R. AREA CALCULATION

AREA DEDUCTION STATEMENT

S.NO	DETAILS	NO	AREA OF EACH	TOTAL AREA(SQM)
1	BALCONY (B1)	8	3.6 X 1.0=3.60	28.80
2	STAIRS (S1)	2	5.60 X2.23=12.49	24.98
3	WARDROBE (WB1)	8	1.59 X 0.60=0.95	7.63
			GRAND TOTAL	61.41
4	STAIRS (MUMTY)	2/8	3.6 X2.69 =19.36/4=	4.84

TOTAL F.A.R. FOR ONE FLOOR

269.941 SQM.(BUILT UP AREA) -61.41(DEDUCTABLE AREA) =208.531 SQM.

TOTAL F.A.R. FOR ONE LIG BLOCK(G+3) =8 X208.531=1668.248 SQM.

SCHEDULE OF AREA CALCULATION

S.N.	DETAILS	F.A.R (SQM.)	ADDITIONS IN FAR					SUPER BUILT UP AREA(SQM.)
			BALCONY (50% AREA)	WARDROB	STAIRCASE	MUMTY (25% AREA)	TOTAL AREA	
1	GROUND FLOOR	208.531	14.40	7.63	24.98	4.84	51.85	260.381
2	FIRST FLOOR	208.531	14.40	7.63	24.98	4.84	51.85	260.381
3	SECOND FLOOR	208.531	14.40	7.63	24.98	4.84	51.85	260.381
4	THIRD FLOOR	208.531	14.40	7.63	24.98	4.84	51.85	260.381
GRAND TOTAL		834.124					207.40	1041.524

TOTA SUPER BUA. PER FLAT (EWS)1041.524 /32=32.547 SQM.=350.21sq.feet

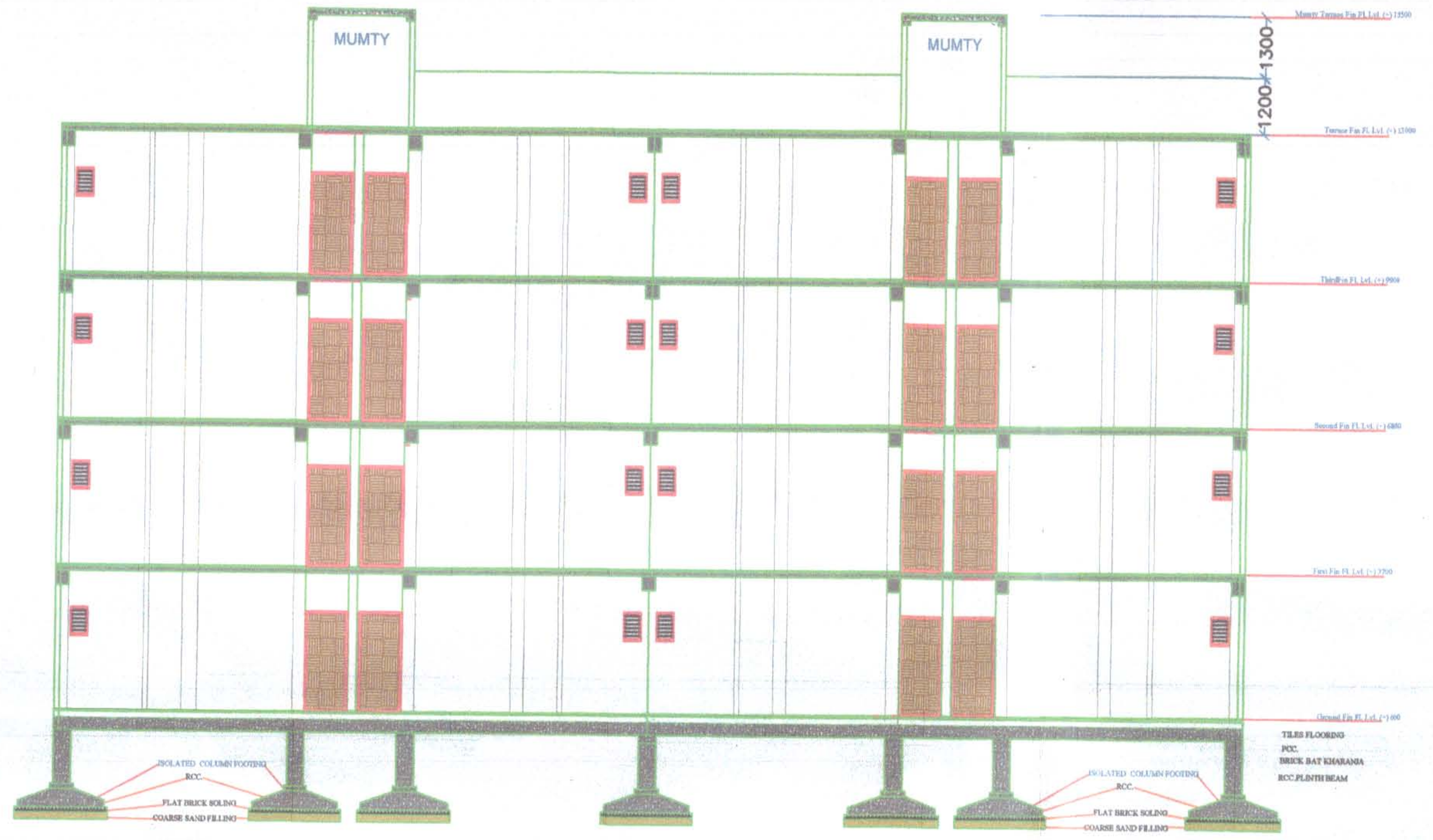

SECTION AT- X -X

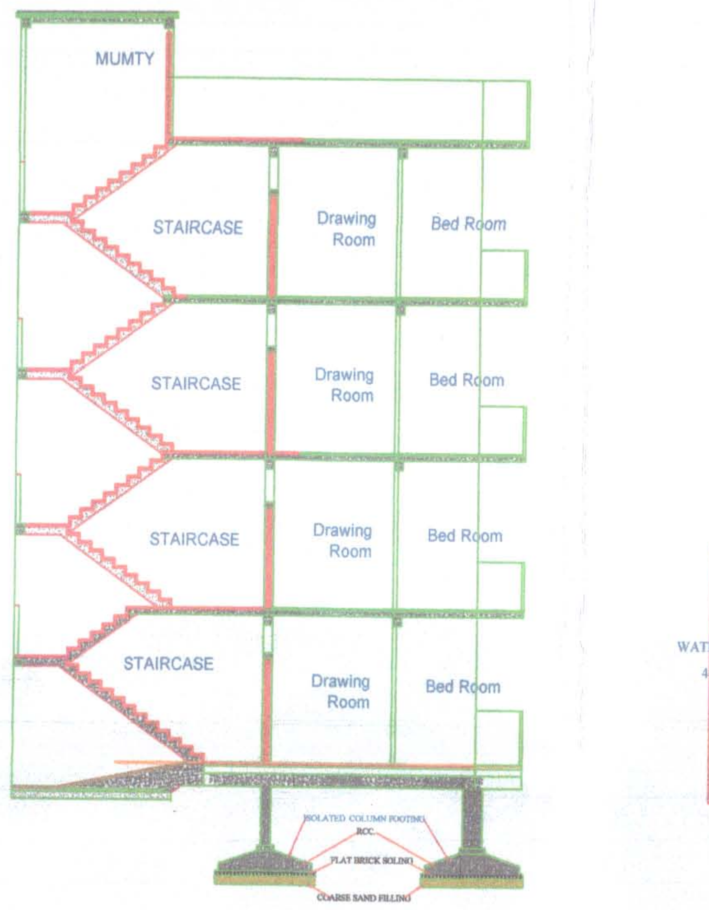

SECTION AT- X- X

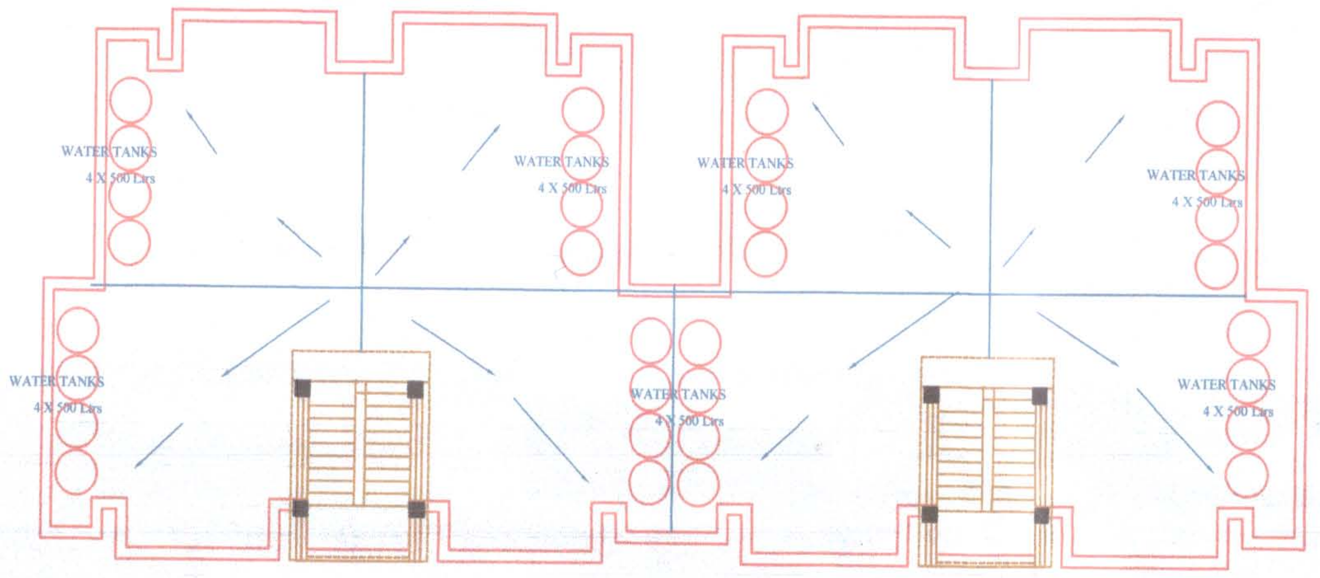

TERRACE FLOOR PLAN (EWS)

FRONT ELEVATION

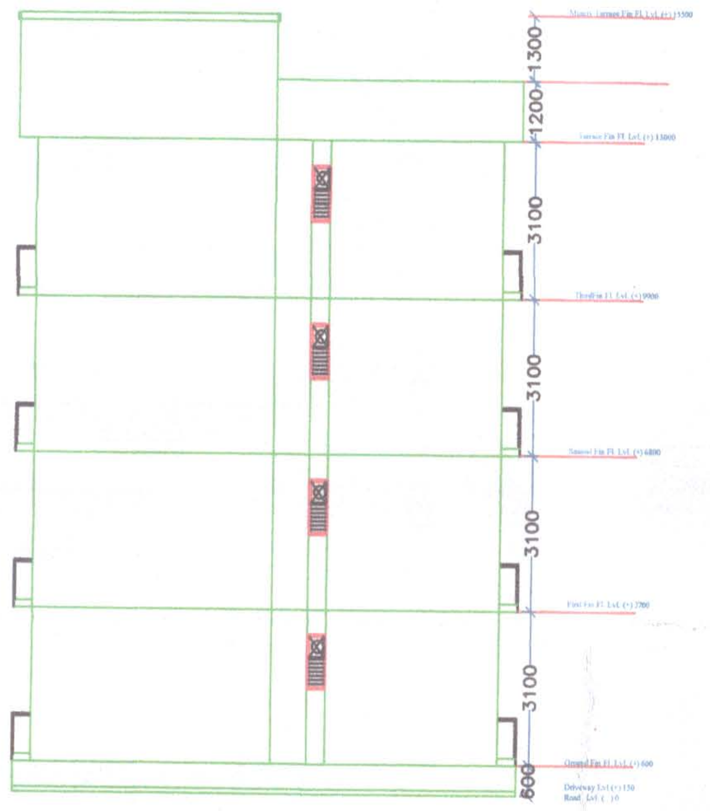

SIDE ELEVATION

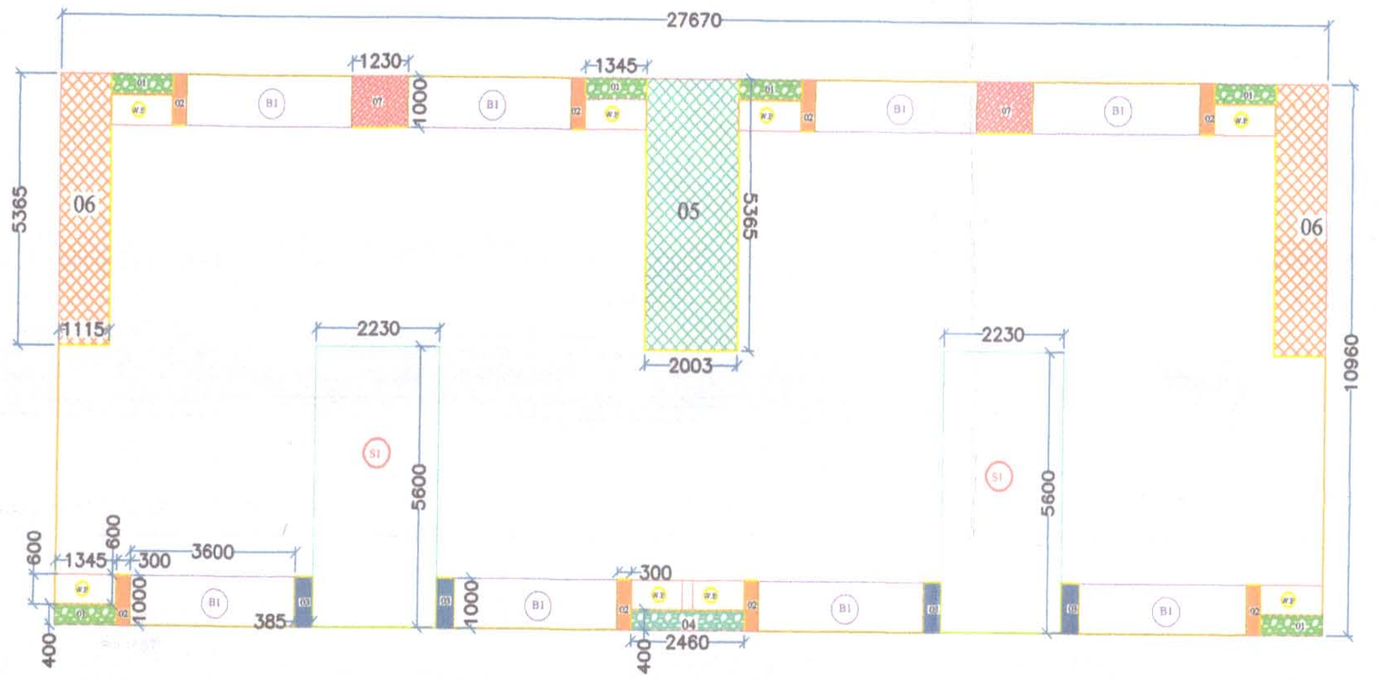

AREA DIAGRAG PLAN (EWS)

वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा के पत्रांक -734 दि० 15.11.2021 द्वारा तकनीकी अनुमोदनानुसार व आई.डी. अनुमोदन कमेटी द्वारा दि० 24.11.2021 को लिये गये निर्णय अनुसार प्लान अनुमोदित किया जाता —

कनिष्ठ अभियन्ता
नगर पालिका लाखेरी

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका लाखेरी

अध्यक्ष
नगर पालिका लाखेरी (बून्दी)

NAME OF SCHEME :

PROPOSED AFFORDABLE HOUSING SCHEME
UNDER CHIEF MINISTER'S JAN AWAS YOJANA 2015.
PROVISION 4A(i) AT LAKHERI (RAJ.)

ZONE NO. ----	SECTOR NO.
SCALE : 1=130 mm.	DRG. NO.

A. T. P. ZONE	D.T.P.	S.T.P.

NAGAR PALIKA LAKHERI

SHEET TITLE:
PLAN ELEVATION & SECTIONS (EWS)

DEVELOPERS

NAV BHARAT NIRMAN COMPANY & ANKITA CONSTRUCTION (JV)
C-9 Vallabh Bari ,sarovar nagar ,kota

SHEET TITLE:

Authorised Signatory

GLOBAL ENGINEERS CONSULTANTS Reg. No SH964/RT/ RJ/2104

SCALE: 1cm=1.30m	PRJ. NO.:	DATE: 20.6.2021 REVISED: 23.9.2021	N

DRAWING BY

GLOBAL ENGINEERS CONSULTANTS
76,LAXMI NAGAR AJMER ROAD
JAIPUR- 302006
PHONE:- 0141 2451502, M:-98290 89250
E-mail :- gec1004@gmail.com

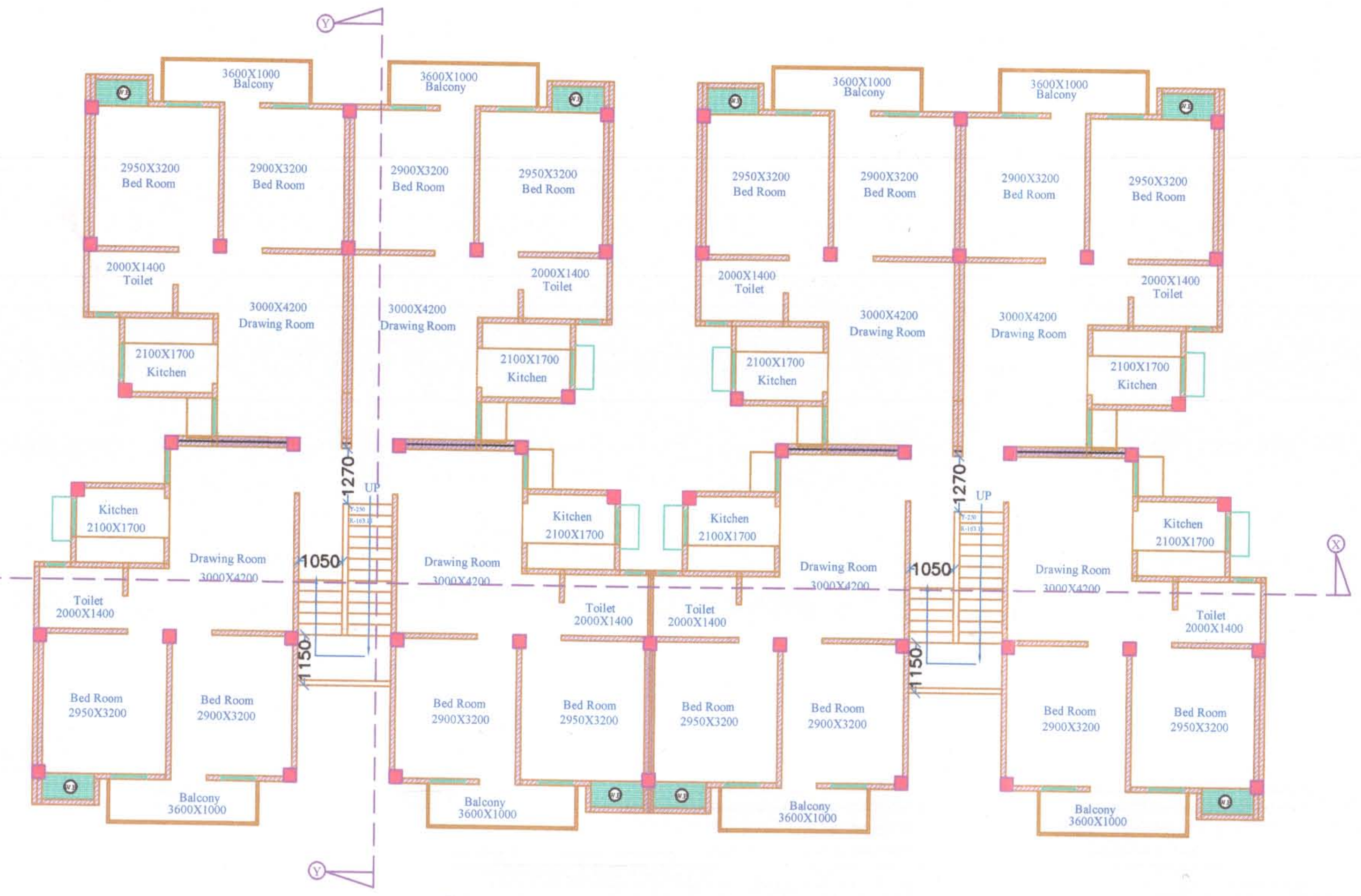

GROUND FLOOR PLAN (LIG)

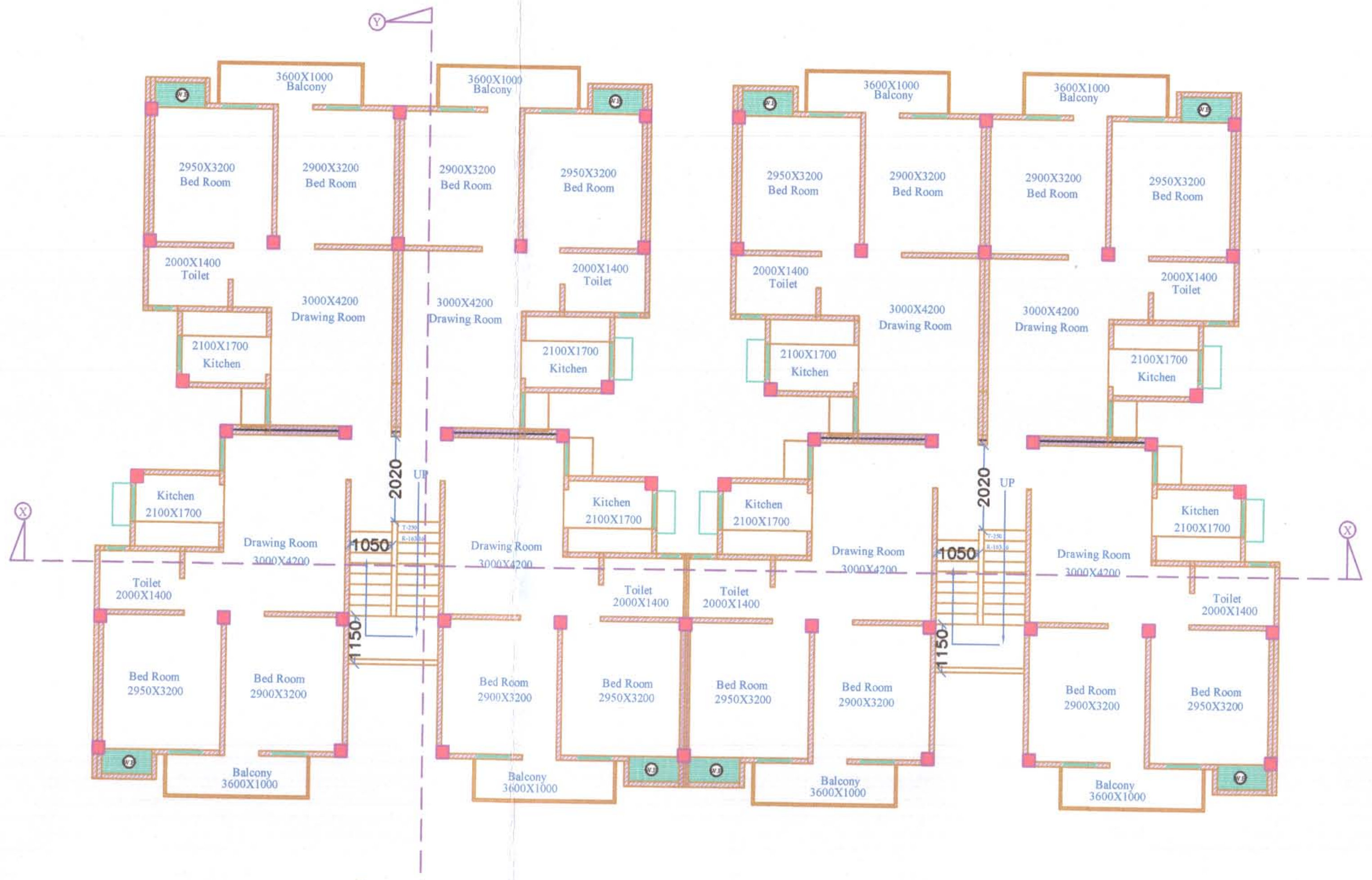

FIRST, SECOND, THIRD FLOOR PLAN (LIG)

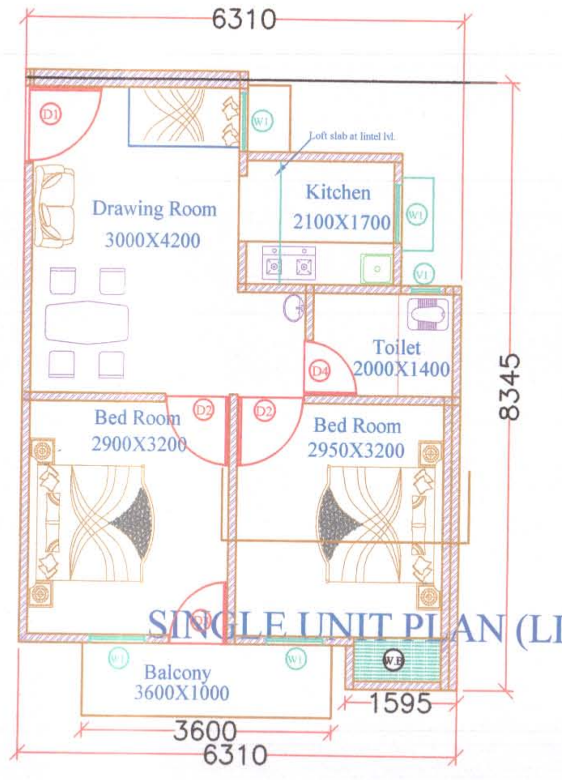

SINGLE UNIT PLAN (LIG)

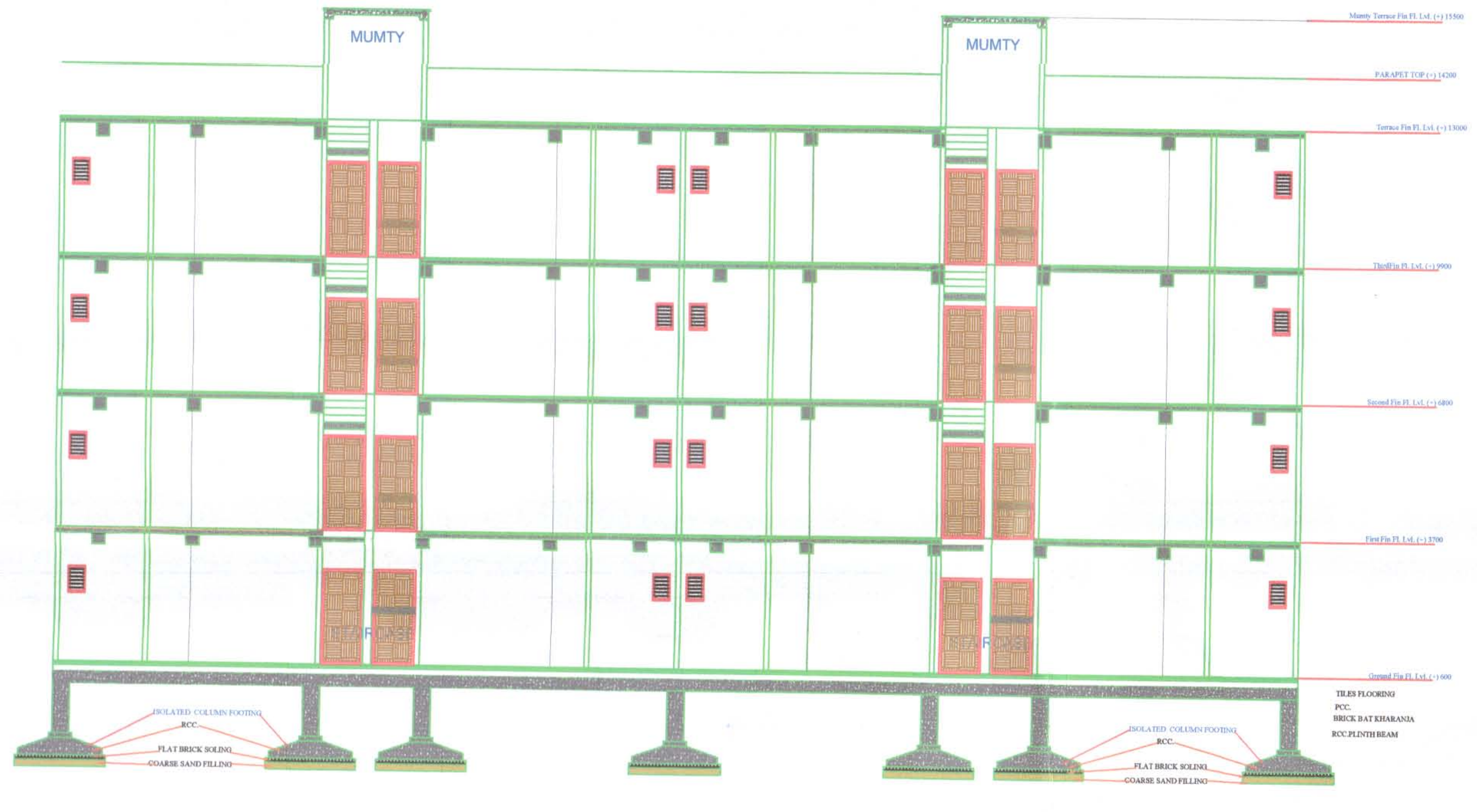

SECTION AT- X -X

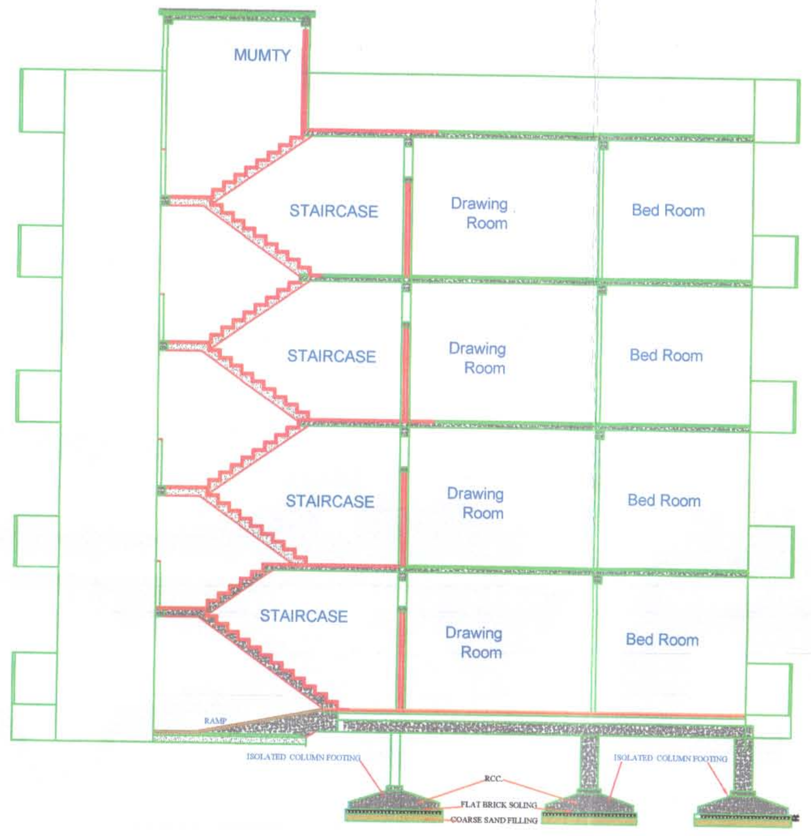

SECTION AT- Y- Y

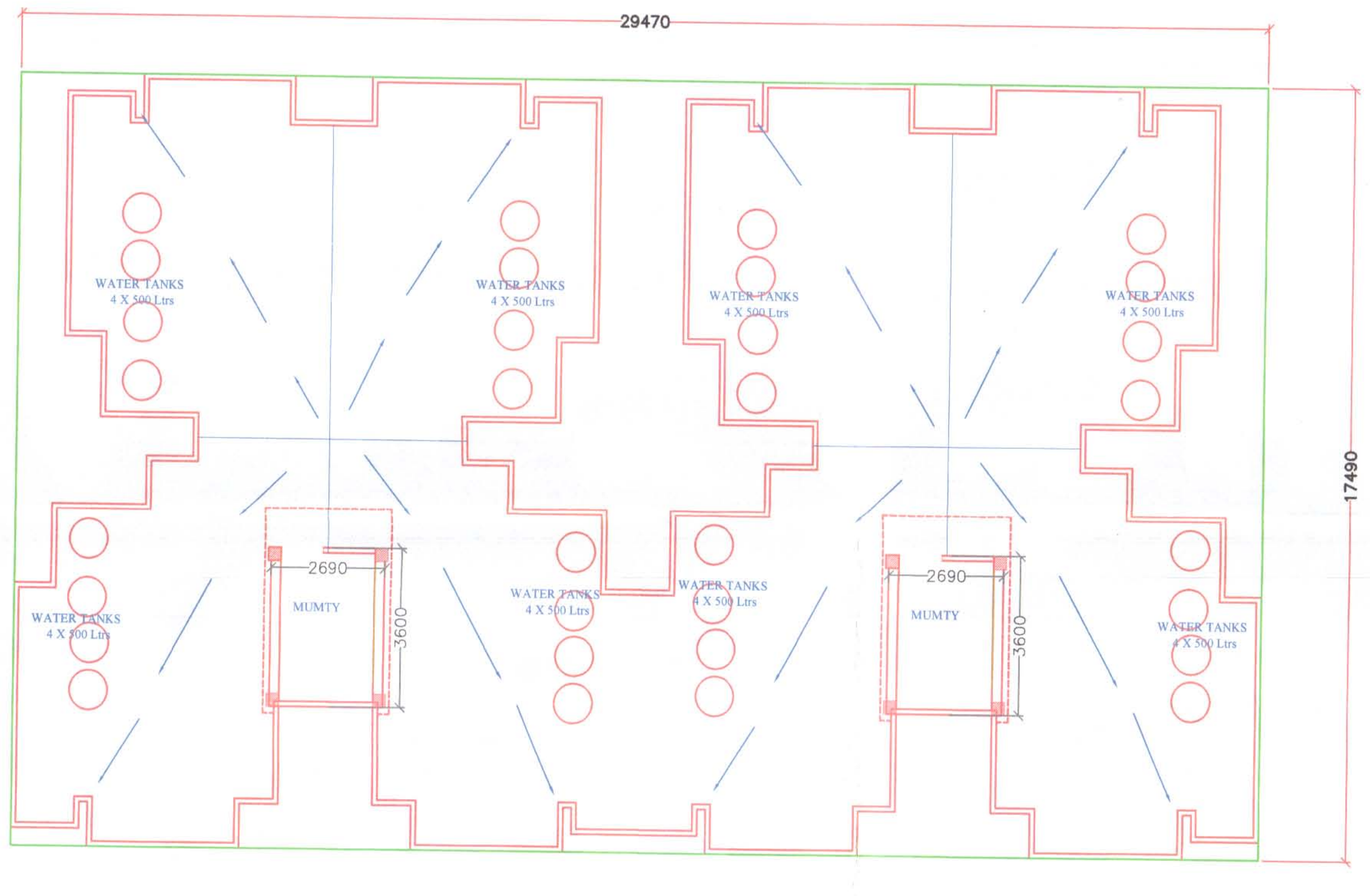

TERRACE FLOOR PLAN (LIG)

FRONT ELEVATION

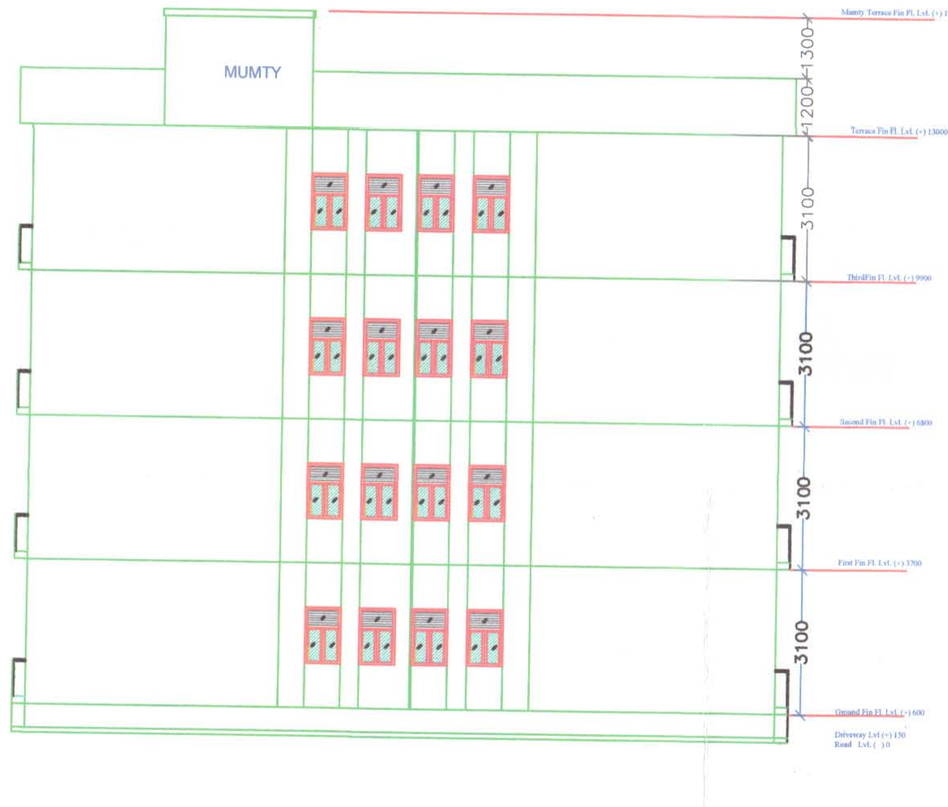

SIDE ELEVATION

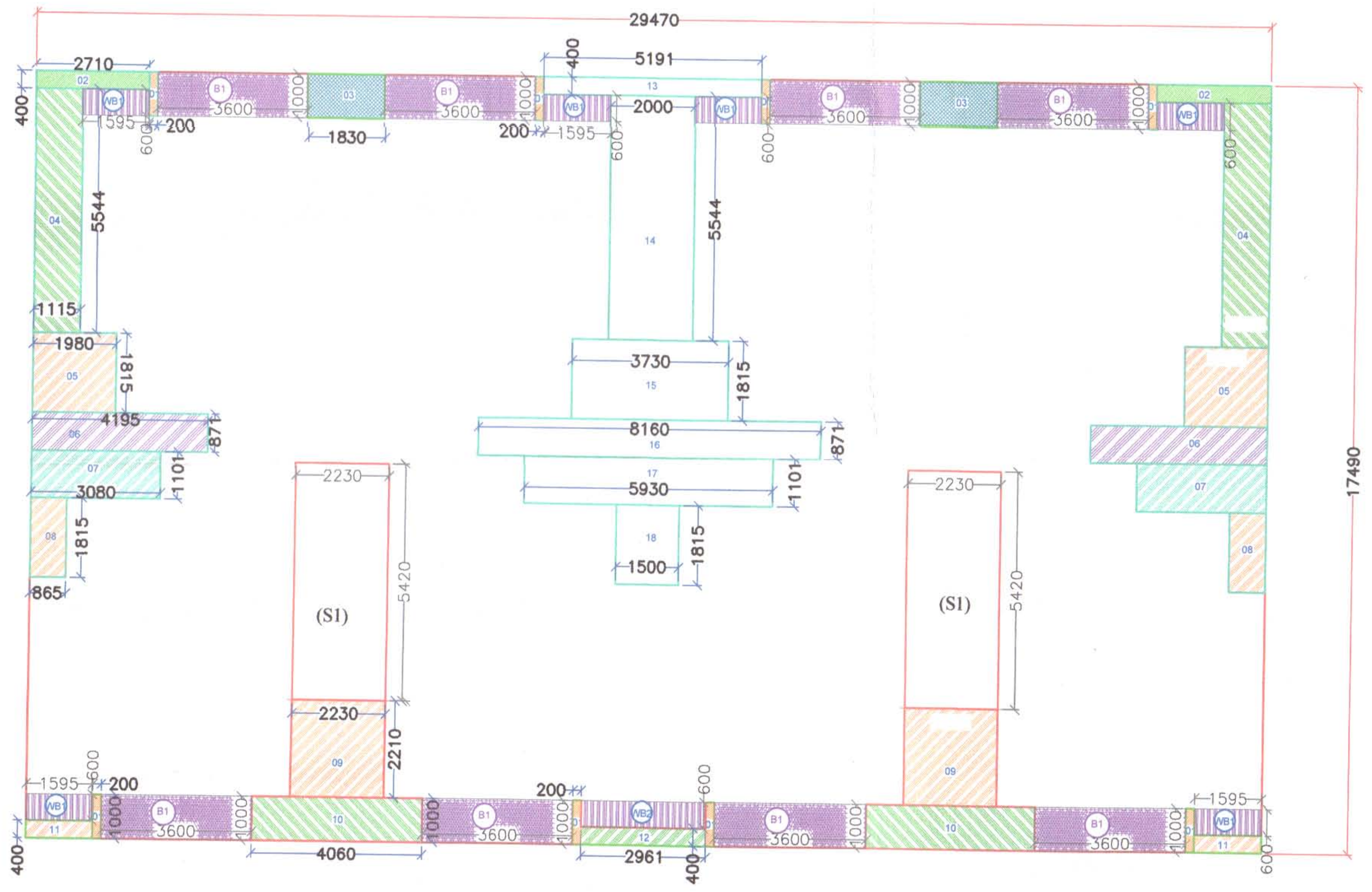

AREA DIAGRAG PLAN (LIG)

वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा के पत्रांक-734 दि० 15.11.2021 द्वारा तकनीकी अनुमोदनानुसार व भवन अनुमोदन कमेटी द्वारा दि० 24.11.2021 को लिए गए निर्णय अनुसार प्लान अनुमोदित किया गया —

कनिष्ठ अभियन्ता
नगर पालिका लाखेरी

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका लाखेरी

आशा शर्मा
अध्यक्ष
नगर पालिका लाखेरी (बन्दी)

SCHEDULE OF DOORS & WINDOWS

S.NO	TYPE		SILL	LINTEL HT.	NO S	TOTAL NO S
1	D1	1000 X 2150	0	2150	8	8X4=32+2(MUMTY)=34
2	D2	900 X 2150	0	2150	24	24X4=96
3	D3	800 X 2000	150	2150	8	8X4=32
4	W1	800 X1200	900	2150	32	32X4=128
5	V1	450X600	1500	2150	8	8X4=32

CONSTRUCTION AREA CALCULATION

TOTAL PLOT AREA 29.47 M X17.49 M =515.43 SQM.

OPEN AREA CALCULATION

S.NO	DETAILS	NO	AREA OF EACH	TOTAL AREA(SQM)
1	Area of 1	8	0.20 X1.0=020	1.60
2	Area of 2	2	0.40 X 2.71=1.084	2.168
3	Area of 3	2	1.0 X 1.83=1.83	3.66
4	Area of 4	2	1.115X5.544=6.181	12.363
5	Area of 5	2	1.980 X10815=3.593	7.187
6	Area of 6	2	0.871X4.195=3.653	7.308
7	Area of 7	2	1.10X3.08=3.391	6.782
8	Area of 8	2	0.865X 1.815=1.566	3.14
9	Area of 9	2	2.23X 2.21=4.928	9.857
10	Area of 10	2	1.0X 4.06=4.06	8.12
11	Area of 11	2	0.40X 1.595=0.638	1.276
12	Area of 12	1	0.40X 2.961=1.184	1.184
13	Area of 13	1	0.40X 5.191=2.076	2.076
14	Area of 14	1	2.0X 5.544=11.088	11.088
15	Area of 15	1	1.815X 3.73=6.77	6.77
16	Area of 16	1	0.871X 8.16=7.107	7.107
17	Area of 17	1	1.10X 5.93=6.529	6.529
18	Area of 18	1	1.50X 1.815=2.723	2.723
			GRAND TOTAL	100.938

BUILT-UP AREA CALCULATION

515.43 SQM.(PLOT AREA) -100.935 (OPEN AREA) =414.495 SQM.

F.A.R. AREA CALCULATION

AREA DEDUCTION STATEMENT

1 S.NO	DETAILS	NO	AREA OF EACH	TOTAL AREA(SQM)
2 1	BALCONY (B1)	8	3.6 X 1.0=3.60	28.80
3 2	STAIRS (S1)	2	5.42 X2.23=12.08	24.17
4 3	WARDROBE (WB1)	8	1.59 X 0.60=0.95	7.63
			GRAND TOTAL	60.60
4	STAIRS (MUMTY)	2/8	3.6 X2.69 =19.36/4=	4.84

TOTAL F.A.R. FOR ONE FLOOR

414.495 SQM.(BUILT UP AREA) -60.60(DEDUCTABLE AREA) =353.895 SQM.

TOTAL F.A.R. FOR ONE LIG BLOCK(G+3) =8 X353.895=2831.16 SQM.

SCHEDULE OF AREA CALCULATION

S.N.	DETAILS	F.A.R (SQM.)	ADDITIONS IN FAR					SUPER BUILT UP AREA(SQM.)
			BALCONY (50% AREA)	WARDROB	STAIRCASE	MUMTY (25% AREA)	TOTAL AREA	
	GROUND FLOOR	353.895	14.40	7.63	24.17	4.84	51.04	404.935
	FIRST FLOOR	353.895	14.40	7.63	24.17	4.84	51.04	404.935
	SECOND FLOOR	353.895	14.40	7.63	24.17	4.84	51.04	404.935
	THIRD FLOOR	353.895	14.40	7.63	24.17	4.84	51.04	404.935
GRAND TOTAL		1415.58					204.16	1619.74

TOTA SUPER BUA. PER FLAT (LIG)1619.74 /32=50.62 SQM.=545.00sq.feet

NAME OF SCHEME :

PROPOSED AFFORDABLE HOUSING SCHEME
UNDER CHIEF MINISTER'S JAN AWAS YOJANA 2015.
PROVISION 4A(i) AT LAKHERI (RAJ.)

ZONE NO. ----	SECTOR NO.	
SCALE : 1=140mm	DRG. NO.	
A. T. P. ZONE	D.T.P.	S.T.P.

NAGAR PALIKA LAKHERI

SHEET TITLE:

PLAN ELEVATION & SECTIONS (LIG)

DEVELOPERS

NAV BHARAT NIRMAN COMPANY & ANKITA CONSTRUCTION (JV)

C-9 Vallabh Bari ,sarovar nagar ,kota

For Navbharat Nirman Company & Ankita Construction

Authorised Signatory

GLOBAL ENGINEERS CONSULTANTS Reg. No. SH96/RT/112/04

SCALE: 1cm=1.40m

PRJ. NO.:

DATE: 20.6.2021

REVISED: 23.9.2021

N

DRAWING BY

GLOBAL ENGINEERS CONSULTANTS

76,LAXMI NAGAR AJMER ROAD
JAIPUR- 302006
PHONE:- 0141 2451502, M:-98290 89250
E-mail :- gec1004@gmail.com